

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3995

(जिसका उत्तर गुरुवार, 21 मार्च, 2013/30 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)

लूप टेलीकॉम द्वारा कंपनी विधि का उल्लंघन

3995. डा. किरोड़ी लाल मीणा :

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने लूप टेलीकॉम द्वारा कंपनी विधि के तथाकथित उल्लंघन की जांच की है;
- (ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष तथा वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो उक्त जांच को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और
- (घ) उक्त कंपनी के विरुद्ध कब तक कार्रवाई की जाने की संभावना है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क): कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने लूप टेलिकॉम की गतिविधियों के किसी निरीक्षण/जांच का आदेश नहीं दिया है।

(ख) से (घ): उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।
